जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

यू0ओ0नोट

राजस्थान सरकार, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांकः एफ.4(6)एफ.डी./टैक्स/2016/215 दिनांक 08.03.16 की प्रति संलग्न कर लेख है कि पृथ्वीराज नगर योजना क्षेत्र में तथा अन्य जोनों में (आवश्यक होने पर) परिपत्र अनुसार नियमन कैम्पों की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

साथ ही राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांकः प.5(3) नविवि/3/99/पार्ट दिनांक 09.03.16 के अनुसार बकाया शहरी जमाबन्दी जमा कराये जाने पर आदेशानुसार छूट देय होगी।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

निदेशक(वित्त)
जविप्रा, जयपुर

समस्त जोन उपायुक्त
जविप्रा, जयपुर

यू.ओ. नोट : जविप्रा/ओ.एस.डी.(आर.एम.)/2016/डी-213
दिनांक :-11-3-16
प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर
3. अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/भूमि/एल.पी.सी.), जविप्रा, जयपुर
4. सिस्टम एनालिस्ट ,जविप्रा, जयपुर को प्रेषितकर लेख है कि राज्य सरकार उक्त परिपत्र/आदेश को जविप्रा वेबसाइट पर अपलोड कराने का श्रम करें।

निदेशक(वित्त)
जविप्रा, जयपुर

D:\Babulal computer\ADR Cell\Excel 2016\U O Note 1.doc

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.5(3)नविवि/3/99पार्ट   जयपुर, दिनांक 9 MAR 2016

आदेश

राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1959 की धारा 74 एवं राजस्थान नगर सुधार न्यास (नगरीय भूमि का निष्पादन) नियम, 1974 के नियम–7ए, राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 की धारा 60 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतदद्वारा प्राधिकरणों, नगर सुधार न्यासों एवं आवासन मण्डल की बकाया लीज के ब्याज मे निम्नानुसार छूट प्रदान करती है:–

1. पूर्व की समस्त बकाया वार्षिक लीज राशि मय चालू वर्ष की लीज राशि जमा कराये जाने पर बकाया लीज के ब्याज में 50 प्रतिशत राशि की छूट दी जायेगी।
2. पूर्व की समस्त बकाया एवं आगे के लिए समस्त वर्षो के लिये एक मुश्त लीज राशि जमा कराये जाने वाले लीज होल्डर्स को बकाया लीज राशि के ब्याज में शत–प्रतिशत छूट दी जायेगी।

इस हेतु दिनांक 30.06.2016 तक आवेदन करना होगा तथा लीज राशि जमा कराने की अंतिम तिथि 30.09.2016 होगी।

समस्त प्राधिकरणों, नगर सुधार न्यासों एवं आवासन मण्डल द्वारा उक्त योजना का लाभ अधिकाधिक को प्रदान किये जाने हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार के साथ–साथ लीज राशि वसूली हेतु शिविर लगाये जावे।

उक्त स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 251600075 दिनांक 08.03.2016 के अनुसरण में जारी की जाती है।

आज्ञा से,

9/3/16

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)

संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव (प्रथम), माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन/वित्त विभाग
6. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
8. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, राजस्थान, जयपुर।
9. सभी संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, राजस्थान।
10. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु मय अतिरिक्त प्रति के।
12. मुख्य नगर नियोजक/मुख्य नगर नियोजक (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)
13. सचिव, समस्त नगर विकास न्यास।
14. निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
15. रक्षित पत्रावली।

9/3/16

संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2016

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby makes the following amendment in this department's notification number F.4(15)FD/Tax/2014-55 dated July 14, 2014, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENT

In the said notification, the existing serial number 3 and 4 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

"

3.	If the lease deed is issued in favour of a person on the basis of unregistered or insufficiently stamped instruments executed on or before 31.05.2013 and his application or the record submitted by the Housing Co-operative Society before Urban Local Body on or before 31.08.2016.	On the amount of premium, development charges, conversion charges and other charges paid in consideration including interest or penalty, if any, and the average amount of the rent of two years subject to condition that,- (i) the Urban Local Body concerned shall make endorsement on the lease deed or issue a certificate of this effect that lease deed has been issued on the basis of application or record submitted on or before 31.08.2016; (ii) the lease holder along with his lease deed shall submit the certificate, before the Registering Officer, issued by the Urban Local Body concerned wherein the number and date of execution of intermediary unregistered and unstamped instruments executed in respect of the immovable property are stated; and (iii) the lease deed shall be presented for registration on or before 30.09.2016.
4.	If the lease deed is issued on the basis of unregistered or insufficiently stamped instruments executed on or before 31.05.2013 but submitted for registration after 30.09.2016.	On the value calculated on the basis of prevalent rates of reserve price of the area prescribed by Local Authority concerned, if the rates of reserve price of the area are not prescribed, on the basis of reserve price of nearby area subject to the condition that the lease holder along with his lease deed shall submit the certificate, before the Registering Officer, issued by the Urban Local Body concerned wherein the number and date of execution of intermediary unregistered and unstamped instruments executed in respect of the immovable property are stated.

"

[No.F.4(6)FD/Tax/2016-215]
By order of the Governor,

(Dr. Devraj)
Joint Secretary to the Government

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2016

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्यांक एफ.4(15)एफ.डी./टैक्स/2014-55 दिनांक 14 जुलाई, 2014 में इसके द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान क्रम संख्यांक 3 और 4 और उनकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"

3.	यदि पट्टा विलेख, किसी व्यक्ति के पक्ष में 31.5.2013 को या उससे पूर्व निष्पादित अरजिस्ट्रीकृत या अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित लिखतों और 31.8.2016 को या उससे पूर्व नगरीय स्थानीय निकाय के समक्ष उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन या आवासन सहकारी सोसाइटी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर जारी किया गया है।	व्याज और शास्ति, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में संदत्त प्रीमियम, विकास प्रभारों, संपरिवर्तन प्रभारों और अन्य प्रभारों की रकम और दो वर्ष के भाटक की औसत रकम पर, इन शर्तों के अध्यधीन कि, - (i) संबंधित नगरीय स्थानीय निकाय, पट्टा विलेख पर पृष्ठांकन करेगा या इस आशय का एक प्रमाणपत्र जारी करेगा कि पट्टा विलेख 31.8.2016 को या उससे पूर्व प्रस्तुत आवेदन या अभिलेख के आधार पर जारी किया गया है। (ii) पट्टा धारक अपने पट्टा विलेख के साथ सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें अचल सम्पत्ति के संबंध में निष्पादित मध्यवर्ती अरजिस्ट्रीकृत और अस्टाम्पित लिखतों की संख्या और निष्पादन की तारीख कथित हो, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। (iii) पट्टा विलेख 30.9.2016 को या उससे पूर्व रजिस्ट्रीकरण के लिये प्रस्तुत किया जायेगा।
4.	यदि पट्टा विलेख 31.5.2013 को या उससे पूर्व निष्पादित अरजिस्ट्रीकृत या अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित लिखतों के आधार पर जारी किया गया है किन्तु रजिस्ट्रीकरण के लिए	संबंधित स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उस क्षेत्र के आरक्षित मूल्य की विहित वर्तमान दरों के आधार पर संगणित मूल्य पर और यदि क्षेत्र के आरक्षित मूल्य की दरें विहित नहीं की गयी हैं, तो निकटवर्ती क्षेत्र के आरक्षित मूल्य पर, इस शर्त के अध्यधीन कि पट्टा धारक अपने पट्टा विलेख के साथ सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा जारी प्रमाणपत्र जिसमें अचल सम्पत्ति के संबंध में निष्पादित मध्यवर्ती अरजिस्ट्रीकृत और अस्टाम्पित लिखतों की संख्या और

	30.9.2016 के पश्चात् प्रस्तुत किया जाता है।	विक्रयपत्र की तारीख कथित हो, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

[एफ.4(6)वित्त/कर/2016-215]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ0 देवराज,
संयुक्त शासन सचिव